

(09-4-2011 से 15-4-2011 दिनांक के रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशित करने हेतु)

कर्मचारी चयन आयोग

( दक्षिण क्षेत्र )

वेब साइट: [www.sscsr.gov.in](http://www.sscsr.gov.in)

विज्ञापन सं एसआर- ४/२२/२०१०

अंतिम तिथि: ११.०५.२०११

महत्वपूर्ण नोट: श्रेणी सं एस. आर -१ से एस.आर- ४ तक का विज्ञापन दिनांक १४-२०.८.२०१० के रोजगार समाचार में विज्ञापन नं एसआर २/२०१० में जारी किया गया था उसका पुनः विज्ञापन किया जाता है। इस विज्ञापन के लिए पहले ही आवेदन पत्र भेजनेवाले उम्मीदवारों को पुनः आवेदन पत्र भेजने की जरूरत नहीं। तथा उनका अपनी योग्यता शर्तों के आधार पर पारेषण कार्यपालक पद के लिए विचार किया जाएगा। पिछले विज्ञापन में दियेनुसार उम्र एवं योग्यता आदि निर्धारित करने की अंतिम तारीख वही (१४-९-२०१०) होगी। आल इंडिया रेडियो ( आकाशवाणी ) में पारेषण कार्यपालक के निम्नलिखित श्रेणियों एवं पदों के लिए केवल अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

विज्ञापन सं . एस आर - एसएससी/ एसआर/२/२०११- पारेषण कार्यपालक

श्रेणी एस आर - सी -०१ :

पद / कार्यालय का नाम	आन्ध्र प्रदेश के आकाश वाणी में पारेषण कार्यपालक (सामान्य एवं उत्पादन )	
वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सिविल सेवाएं, ग्रूप- सी ( अराजपत्रित ) अलिपिक वर्गीय	
रिक्ति	अनु.जाति -६ ( छः) अनु.ज.जाति -३ (तीन ) (पद के लिए अपंग उम्मीदवार उपयुक्त होते हैं।)	
वेतनमान	रु. 5000-150-8000 ( पूर्व परिशोधित )	
प्रारंभिक तैनाती का स्थान	आन्ध्र प्रदेश के आकाश वाणी ( अखिल भारत में सेवा करने की जिम्मेदारी सहित )	
आयु सीमा	18 - 30 साल के बीच	
	उच्चतम आयु सीमा में छूट	अनु. जा / अनु.जन.जा के लिए ३५ साल तक तथा अनु. जाति / अनु. जन.जाति के विकलांग उम्मीदवारों के लिए 45 साल तक एवं प्रसार भारती के कर्मचारियों के लिए ३५ साल तक ( केंद्रीय सिविलियन कर्मचारियों के लिए आयु छूट नहीं )
अनिवार्य योग्यताएं	१. मान्यता प्राप्त किसी यूनिवर्सिटी में स्नातक डिग्री या उसके समतुल्य योग्यता या राष्ट्रीय ड्रामा स्कूल , नई दिल्ली से प्राप्त डिप्लोमा या फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुने से प्राप्त डिप्लोमा या साऊन्ड ब्राडकास्टिंग में डिप्लोमा २. रिक्त पद से संबन्धित भाषा में प्रवीणता (तेलुगु)	
वांछित योग्यताएं		

कार्यभार जिम्मेदारियां

१. रिक्त पद से संबन्धित भाषा में ५ साल से विख्यात लेखक के रूप में हों या सृजानात्मक ढंग से किताब लिखने में पांच साल का अनुभव या किसी जर्नल, पत्रिका या रेडियो के लिए सृजानात्मक ढंग से लिखने में अनुभव तथा प्रारण के लिए स्क्रिप्ट तैयार करने की क्षमता
२. हिन्दी में ज्ञान
३. संबन्धित क्षेत्र की अन्य भाषाओं में ज्ञान
४. प्रसारण के लिए उपयुक्त वाणी
५. समाचार पत्रों / पत्रिकाओं / रेडियो तथा टेलीविजन के लिए लेख लिखने का अनुभव

पारेषण कार्यपालक , स्टेशन के पारेषण कार्य के प्रभारी के रूप में तैनात किये जाएंगे। ये ड्यूटी आफिसर के रूप में कार्य करेंगे। पारेषण कार्यपालक को प्रसारित विभिन्न कार्यक्रमों पर ध्यान से नजर रखने की जिम्मेदारी होती है तथा उन्हें एआइआर-पी-२९ प्रपत्र में दैनिक रिपोर्ट तैयार करना होता है। स्टूडियो लाग बुक में विस्तार रूप से प्रविष्टियां दर्ज करनी पडती है जो कलाकारों , वक्ताओं एवं रेकार्ड कंपनियों को भुगतान करने के लिए प्रधान आधार रेकार्ड होता है।

श्रेणी एस आर - सी -०२ :

पद / कार्यालय का नाम	आन्ध्र प्रदेश के आकाश वाणी में पारेषण कार्यपालक ( स्क्रिप्ट )	
वर्गीकरण	:	सामान्य केंद्रीय सिविल सेवाएं, ग्रूप- सी ( अराजपत्रित ) अलिपिक वर्गीय
रिक्ति	:	अनु.जाति -१ (एक) अनु.ज.जाति -१ (एक ) (पद के लिए अपंग उम्मीदवार उपयुक्त होते हैं।)
वेतनमान	:	रु. 5000-150-8000 ( पूर्व परिशोधित )
प्रारंभिक तैनाती का स्थान :	आन्ध्र प्रदेश के आकाश वाणी ( अखिल भारत में सेवा करने की जिम्मेदारी सहित )	
आयु सीमा	:	18 - 30 साल के बीच
	उच्चतम आयु सीमा में छूट	अनु. जा / अनु.जन.जा के लिए ३५ साल तक तथा अनु. जाति / अनु.जन.जाति के विकलांग उम्मीदवारों के लिए 45 साल तक एवं प्रसार भारती के कर्मचारियों के लिए ३५ साल तक ( केंद्रीय सिविलियन कर्मचारियों के लिए आयु छूट नहीं )
अनिवार्य योग्यताएं	<ol style="list-style-type: none"> <li>१. मान्यता प्राप्त किसी यूनिवर्सिटी में स्नातक डिग्री या उसके समतुल्य योग्यता या राष्ट्रीय ड्रामा स्कूल , नई दिल्ली से प्राप्त डिप्लोमा या फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुने से प्राप्त डिप्लोमा या साऊन्ड ब्राडकास्टिंग में डिप्लोमा</li> <li>२. रिक्त पद से संबन्धित भाषा में प्रवीणता (तेलुगु)</li> </ol>	
वांछित योग्यताएं	<ol style="list-style-type: none"> <li>१. रिक्त पद से संबन्धित भाषा में ५ साल से विख्यात लेखक के रूप में हों या सृजानात्मक ढंग से किताब लिखने में पांच साल का अनुभव या किसी जर्नल, पत्रिका या रेडियो के लिए सृजानात्मक ढंग से लिखने में अनुभव तथा प्रारण के लिए स्क्रिप्ट तैयार करने की क्षमता</li> <li>२. हिन्दी में ज्ञान</li> <li>३. संबन्धित क्षेत्र की अन्य भाषाओं में ज्ञान</li> <li>४. प्रसारण के लिए उपयुक्त वाणी</li> <li>५. समाचार पत्रों / पत्रिकाओं / रेडियो तथा टेलीविजन के लिए लेख लिखने का अनुभव</li> </ol>	

कार्यभार जिम्मेदारियां

पारेषण कार्यपालक , स्टेशन के पारेषण कार्य के प्रभारी के रूप में तैनात किये जाएंगे। ये ड्यूटी आफिसर के रूप में कार्य करेंगे। पारेषण कार्यपालक को प्रसारित विभिन्न कार्यक्रमों पर ध्यान से नजर रखने की जिम्मेदारी होती है तथा उन्हें एआइआर-पी-२९ प्रपत्र में दैनिक रिपोर्ट तैयार करनी होती है। स्टूडियो लाग बुक में विस्तार रूप से प्रविष्टियां दर्ज करनी पडती है जो कलाकारों , वक्ताओं एवं रेकार्ड कंपनियों को भुगतान करने के लिए प्रधान आधार रेकार्ड होता है।

श्रेणी एस आर - सी -०३ :

पद / कार्यालय का नाम	आन्ध्र प्रदेश के आकाश वाणी में पारेषण कार्यपालक ( फ़ार्म एवं होम )	
वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सिविल सेवाएं, ग्रूप- सी ( अराजपत्रित ) अलिपिक वर्गीय	
रिक्ति	अनु.जाति -१ (एक) (पद के लिए अपंग उम्मीदवार उपयुक्त होते हैं।)	
वेतनमान	रु. 5000-150-8000 ( पूर्व परिशोधित )	
प्रारंभिक तैनाती का स्थान	आन्ध्र प्रदेश के आकाश वाणी ( अखिल भारत में सेवा करने की जिम्मेदारी सहित )	
आयु सीमा	18 - 30 साल के बीच	
	उच्चतम आयु सीमा में छूट	अनु. जा के लिए ३५ साल तक तथा अनु. जाति के विकलांग उम्मीदवारों के लिए 45 साल तक एवं प्रसार भारती के कर्मचारियों के लिए ३५ साल तक ( केंद्रीय सिविलियन कर्मचारियों के लिए आयु छूट नहीं )
अनिवार्य योग्यताएं	१. मान्यता प्राप्त किसी यूनिवर्सिटी में कृषि विज्ञान में स्नातक डिग्री या उसके समतुल्य योग्यता २. रिक्त पद से संबन्धित भाषा में प्रवीणता (तेलुगु)	
वांछित योग्यताएं	१. विकास गतिविधियों में एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में तीव्र उत्साही २. हिन्दी भाषा से या अंग्रेजी भाषा से रिक्त पद से संबन्धित भाषा में एवं संगत भाषा से अंग्रेजी में सहि रूप से अनुवाद करने की क्षमता ३. किसी सृजानात्मक किताब लिखने में पांच साल का अनुभव या किसी जर्नल / पत्रिकाओं के लिए या कृषि विषयों पर रेडियो के लिए सृजानात्मक लेखन में अनुभव या ग्राम सेवक के रूप में दो साल का क्षेत्रफल अनुभव या ग्राम सेवक के रूप में दो साल का प्रशिक्षण या ग्राम सेवक के रूप में छः साल का अनुभव या तथा प्रसारण के लिए स्क्रिप्टों को तैयार करने का अनुभव ४. प्रसारण के लिए उपयुक्त वाणी ५. संबन्धित क्षेत्र की अन्य भाषाओं का ज्ञान	
कार्यभार जिम्मेदारियां	पारेषण कार्यपालक को सभी तरह के प्ले बैक कार्यक्रमों का रेकार्ड , ध्वन्यारोपण एवं संपादन करना पडता है। सभी तरह के कार्यक्रमों के उत्पादन में सहायता करनी पडती है। सभी श्रेणियों के कार्यक्रम जैसे प्लेस, फीचर्स, वार्ता, कहानियां आदि के लिए संपादन तथा प्रसारण के लिए सामग्रियों का आवश्यकतानुसार अनुकूलित करना , स्क्रिप्टों को पढना तथा उनके प्रस्तुतीकरण में भाग लेना आदि।	

श्रेणी एस आर - सी -०४ :

पद / कार्यालय का नाम	पारेषण कार्यपालक ( साधारण एवं उत्पादन )	
वर्गीकरण	:	सामान्य केंद्रीय सिविल सेवाएं , ग्रूप- सी ( अराजपत्रित ) अलिपिक वर्गीय
रिक्ति	:	अनु.जाति -१४ ( चौदह ) ( पद के लिए अपंग उम्मीदवार उपयुक्त होते हैं। )
वेतनमान	:	वेतन बैंड - २ रु . ९३००- ३४८०० + ग्रेड वेतन रु. ४२००/-( परिशोधित ) रु. 5000-150-8000 ( पूर्व परिशोधित )
प्रारंभिक तैनाती का स्थान :	तमिलनाडु एवं पुदुच्चेरी के आकाश वाणी में अखिल भारत में सेवा करने की जिम्मेदारी सहित	
आयु सीमा	:	18 - 30 साल के बीच
	उच्चतम आयु सीमा में छूट	अनु. जा ३५ साल तक तथा अनु. जाति के विकलांग उम्मीदवारों के लिए 45 साल तक एवं प्रसार भारती के कर्मचारियों के लिए ३५ साल तक ( केंद्रीय सिविलियन कर्मचारियों के लिए आयु छूट नहीं )
अनिवार्य योग्यताएं	<p>१. मान्यता प्राप्त किसी यूनिवर्सिटी में स्नातक डिग्री या उसके समतुल्य योग्यता या राष्ट्रीय ड्रामा स्कूल , नई दिल्ली से प्राप्त डिप्लोमा या फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुने से प्राप्त डिप्लोमा या साऊन्ड ब्राडकास्टिंग में डिप्लोमा</p> <p>२. रिक्त पद से संबन्धित भाषा में प्रवीणता (तेलुगु)</p>	
वांछित योग्यताएं	<p>१. रिक्त पद से संबन्धित भाषा में ५ साल से विख्यात लेखक के रूप में हों या सृजानात्मक ढंग से किताब लिखने में पांच साल का अनुभव या किसी जर्नल, पत्रिका या रेडियो के लिए सृजानात्मक ढंग से लिखने में अनुभव तथा प्रारण के लिए स्क्रिप्ट तैयार करने की क्षमता</p> <p>२.हिन्दी में ज्ञान</p> <p>३.संबन्धित क्षेत्र की अन्य भाषाओं में ज्ञान</p> <p>४.प्रसारण के लिए उपयुक्त वाणी</p> <p>५. समाचार पत्रों / पत्रिकाओं / रेडियो तथा टेलीविजन के लिए लेख लिखने का अनुभव</p>	
कार्यभार जिम्मेदारियां	पारेषण कार्यपालक को सभी तरह के प्ले बैक कार्यक्रमों को रेकार्ड करना , डब करना , एडिट करना होता है। सभी श्रेणियों के कार्यक्रमों के लिए जैसे प्ले, फ्रीचरस, टाक्स, कहानियों आदि के लिए स्क्रिप्ट लिखना पडता है। तथा प्रसारण के लिए सामग्रियों की तैयारी करना, स्क्रिप्टों को पढना तथा उनके प्रस्तुतीकरण में भाग लेना आदि	

शैक्षिक योग्यताओं पर महत्वपूर्ण नोट: खुले विश्व विद्यालय / सुदूर शिक्षा के माध्यम से डिग्री / डिप्लोमा प्राप्त उम्मीदवारों के डिग्री / डिप्लोमा सहित संबन्धित विश्व विद्यालय में अपेक्षित शैक्षिक अवधि के दौरान प्राप्त संबन्धित योग्यता के कोर्स के लिए दिनांक ८.४.१९९५ के भारत के राजपत्र में प्रकाशित मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अधिसूचना सं ४४ में निहित शर्तों के अनुरूप सुदूर शैक्षिक काउन्सिल के द्वारा मान्यता मिलने के बारे में प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न न होने की स्थिति में उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा

## 2. आयु एवं उच्चतम आयु सीमा में छूट:-

- \* समापन तिथि को निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत होना चाहिए (अर्थात दिनांक 14.09.2010 )
- \* पूर्व सैनिक उम्मीदवारों के लिए आयु छूट उपलब्ध है। पूर्व सैनिकों को पहले ही कार्यमुक्त हो जाना पड़ता है या जिनके सुपुर्द काम पूरा होने पर सशस्त्र बल से उन्हें निर्णायक तिथि 13.09.2011 से लेकर निर्धारित एक साल की अवधि के अन्दर कार्यमुक्त किया जाना होता है। पूर्व सैनिक उम्मीदवारों को अपेक्षित प्रमाण पत्र / वचन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा. सं ३६०३४/२/९१-स्थापना ( एससीटी ) दिनांक ३.४.९१ (परिशिष्ट १ और २ )के अधीन निर्धारित किये गये फार्म में प्रस्तुत करना होगा। पूर्व सैनिकों को सरकार के द्वारा समय समय पर निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर अपनी वास्तविक आयु से मिलितरी सर्विस अवधि को घटाकर पानेवाली आयु , निर्धारित आयु सीमा के तीन साल से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- \* अनु.जा / अनु.जन.जा के उम्मीदवारों को अपने प्रमाण पत्र आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट -3 में दियेनुसार प्रस्तुत करना चाहिए।
- \* विकलांग उम्मीदवारों को अपनी अंगुता के बारे में परिशिष्ट- ५ में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।
- \* पूर्व सैनिकों के पुत्र / पुत्रियों के लिए आयु सीमा में छूट स्वीकार्य नहीं है।
- \* दिनांक १.१.१९८० से ३१.१२.१९८९ तक जो जम्मू कश्मीर राज्य में सामान्यतः अधिवासी रहे हैं उन सभी व्यक्तियों को उच्चतम आयु सीमा में पांच साल के लिए छूट मिलेगा। जिसके समर्थन के लिए उम्मीदवारों को नीचे दिये गये अधिकारियों से रेसिडन्स प्रूफ प्राप्त कर , उसे अपने आवेदन पत्र सहित प्रस्तुत करना चाहिए।
- \* केवल विधवा, डिवोर्ज प्राप्त महिलाएं और वे महिलाएं जो अपने पति से कानूनी द्वारा अलग रहते हैं तथा पुनर्विवाहित न होते तो उच्चतम आयु सीमा में ३५ साल तक (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए ४० साल तक ) उन्हें अनुमति दी जाती है।

## ३. देय शुल्क तथा भुगतान की प्रक्रिया :

चूंकि सभी पद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होते हैं इसलिए कोई शुल्क भेजना नहीं चाहिए।

## ४. चयन की प्रक्रिया:

सामान्यतः पदों के लिए चयन, कुशल परीक्षा/साक्षात्कार के आधार पर किया जाता है। यद्यपि, यदि आवश्यक हो तो , आयोग अपने निर्णय पर, प्रवीणता/स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित कर सकेगा। जहां प्रवीणता/ स्क्रीनिंग टेस्ट अपेक्षित हो, केवल वही उम्मीदवार जिन्हें प्रवीणता/ स्क्रीनिंग टेस्ट में निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त हुआ है वही साक्षात्कार / व्यक्तित्व परीक्षा के लिए बुला या जाएगा।

#### ५. आवेदन करने की प्रक्रिया:

विधिवत् भरे गये आवेदन पत्र को (आवेदन-पत्र भराने के लिए मार्गदर्शन अलग रूप से दिये गये हैं, कृपया उसका संदर्भ लें ) आयोग के दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय के निम्नलिखित पते पर ११.५.२०११ (समापन तिथि) तक या उससे पहले भेजना है।

क्षेत्रीय निदेशक ( द.क्षे ),  
कर्मचारी चयन आयोग,  
दूसरा तल, इ वी के संपत बिल्डिंग,  
कालेज रोड, चेन्नै - ६०० ००६

(यदि असाम, मेघालया, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपूर, नाघलांड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के लाहाल एवं स्पिटी जिले तथा चंपा जिले के पंगी उप डिविजन, अंडमान व निकोबार द्वीप, लक्ष द्वीप तथा विदेशों में रहनेवाले उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तारीख 18.05.2011 )विनिर्दिष्ट समापन समय के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों को किसी भी परिस्थिति में मंजूर न किया जाएगा। आयोग डाक द्वारा विलंब के लिए जिम्मेदारी वहन नहीं करेगा।

#### ६. आवेदन पत्र भरने के लिए मार्गदर्शन

आवेदन पत्र भेजते समय लिफाफे पर पद का नाम, विज्ञापन सं एवं श्रेणी सं आदि स्पष्ट रूप से सूचित करें।

१. हर श्रेणी के लिए अलग-अलग आवेदन पत्र भेजना चाहिए।

२. आवेदन पत्रों के साथ किसी भी मूल प्रमाण पत्रों को संलग्न कर नहीं भेजना चाहिए।

३. यह सुनिश्चित करें कि आवेदन पत्र का प्रपत्र प्रकाशितानुसार वि'य एवं आकार में ठीक वही होना चाहिए।

४. स्वयं अपने हाथ से आवेदन पत्र भर लें आवेदन पत्र भरने के लिए बाल पाइन्ट पेन का उपयोग करें एवं किसी कालम को खाली न छोड़ें। जहां अपेक्षित हो वहां 'लागू नहीं' उल्लेख करें।

५. उम्मीदवार को केवल एक ही आवेदन पत्र भेजना है. एक लिफाफे में केवल एक ही आवेदन पत्र भेजना है

६. यह बात सुनिश्चित कर लें कि भर्ती शुल्क का भुगतान केवल केंद्रीय भर्ती शुल्क स्टांप

(सीआरएफएस)द्वारा ही किया गया है। सीआरएफएस को आवेदन पत्र में इसके प्रयोजनार्थ दिये गये स्थान में चिपकाएं और डाक घर द्वारा विधिवत रद्द करवा दें।

७. सेवा करते सुरक्षा कार्मिक जो समापन तिथि से लेकर एक साल के अंतर्गत कार्यमुक्त हो सकते हैं , वे भी आवेदन कर सकते हैं।

८. आवेदन पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तारीख .....11.05.2011 ..... ( ५.०० बजे)

## ७. आवेदन पत्र सहित संलग्न कागजातों का विवरण:-

1. आवेदन पत्र के निर्धारित स्थान पर केवल सीआरएफएस चिपका दें तथा उचित रूप से स्टाम्पों को रद्द कराकर भेज दें।
2. आवेदन पत्र में दिये गये स्थान पर हाल ही का पासपोर्ट साइज फोटो विधिवत हस्ताक्षर कर चिपकायें। / **स्टाम्प्लर न लगायें** / उम्मीदवार को उसी फोटो की दो प्रतियां और हाजिरी पत्र /जीवनवृत्त प्रपत्र में चिपकाने हेतु अपने पास ही रख लें।
3. आयु , शैक्षणिक योग्यताओं तथा तकनीकी योग्यताओं के लिए सत्यापित प्रमाण पत्र एवं उसके साथ ही पाठ्य विषयों की अंक सूची की सत्यापित प्रति आदि भेजें। ( न्यूनतम शैक्षिक, तकनीकी योग्यताओं की प्राप्ति तथा जन्म तिथि के प्रूफ के रूप में केवल सक्षम अधिकारी द्वारा याने संबन्धित यूनिवर्सिटी / शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्णायक तिथि १४.९.२०१० से पूर्व जारी प्रमाण पत्रों को ही मान लिया जाएगा।)
4. पूर्व सैनिक एवं अ.पि.व , अनु.जाति श्रेणी के सत्यापित प्रमाण पत्र की प्रतियां
5. आयु छूट के दावा करनेवालों को अपने दावा के समर्थन के लिए प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करना है।
6. केंद्र सरकारी कर्मचारियों /विभागीय उम्मीदवारों को अपने यह वचन प्रस्तुत करना है कि उन्होंने अपने कार्यालय प्रमुख को इस पद के लिए आवेदन पत्र भेजने संबंधी सूचना लिखित रूप में दी है। विभागीय/केन्द्र सरकारी कर्मचारी लोग जो आयु छूट के लिए दावा करते हैं तो उन्हें अपने नियोक्ता से प्राप्त अपेक्षित प्रमाण पत्र परिशिष्ट -५ में दियेनुसार प्रस्तुत करना है।

इस भर्ती के संबन्ध में होनेवाले किसी भी विवाद का कोर्ट / ट्रिब्यूनल के द्वारा जो चेन्नई क्षेत्राधिकार में स्थित है समाधान किया जाएगा।

## ८.अमान्य आवेदन पत्र

अमान्य आवेदन पत्र सरसरी तौर पर अस्वीकार किया जाएगा यदि वह

1. अपूर्ण / या अस्पष्ट हो
2. हिन्दी/अंग्रेजी को छोड़ किसी अन्य भाषा में आवेदन पत्र भरा हुआ हो
3. निर्णायक तारीख (14.9.2010) को निर्धारित आयु से कम/अधिक हो
4. निर्णायक तिथि / अर्थात् 14.09.2010 तक/ अपेक्षित अनिवार्य योग्यताएं न प्राप्त हो
5. एक ही लिफाफे में दो या दो से अधिक आवेदन या एक ही आवेदन कर्ता से कई आवेदन पत्र प्राप्त हो
6. अंतिम तिथि ११.०५.२०११ के बाद यदि आवेदन पत्र प्राप्त हो

### नोट:

1. विज्ञापन में दी गयी रिक्तियों की स्थिति अनंतिम है तथा इसमें परिवर्तन हो सकता है। यदि रिक्ति की संख्या कम हो जाय या उसकी स्थिति शून्य हो जाय जिसके फलस्वरूप उम्मीदवार को कोई नुकसान/क्षति होने पर , आयोग उसकी क्षतिपूर्ति नहीं करेगा।

2. उम्मीदवार को निर्णायक तिथि से पूर्व ही योग्यता भर्ती में उत्तीर्ण होनी चाहिए। संबन्धित उम्मीदवार यदि योग्यता भर्ती में हाजिर होकर निर्णायक तिथि तक, उसका परिणाम न घोषित हुआ तो वह नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होता है।

## चयनित पदों के लिए आवेदन पत्र भरने संबंधी अनुदेश

1. यह नोट करें कि आयोग के द्वारा की जानेवाली सभी भर्तियों के लिए सामान्य आवेदन पत्र का प्रयोग किया जाता है। भर्ती के संबंध में दी गयी सूचना को पूरी तरह से पढ़ लें तथा नोटीस में उल्लेखित किसी पदों के लिए आवेदन करने से पहले इन अनुदेशों को सावधानी से पढ़ लें। आवेदन करने के पद के लिए आप योग्य होने में स्वयं आपको तुष्टि मिलनी चाहिए।
2. आवेदन पत्र भरने के लिए केवल नील / काली स्याही का उपयोग करें।
3. आवेदन पत्र में ज्यादा मर्दों के लिए उसमें ही अनुदेश दिये गये हैं जिन्हें बाक्सों को भरने से पहले ध्यानपूर्वक पढ़ लें। जिन मर्दों के लिए अनुदेश उपलब्ध नहीं या जिन मर्दों के लिए आगे स्पष्टीकरण अपेक्षित हो तो नीचे दिये गये अनुदेशों को ध्यान से पढ़ें।
4. कालम नं 90 को ध्यानपूर्वक भरें। पूर्व सैनिक उम्मीदवारों को कालम नं 90 और कालम नं 90.9 भरना अपेक्षित है।
5. विकलांग उम्मीदवारों को कालम नं 90, 99, 99.9, 96 तथा 96.9 जो भी उपयुक्त हो भरकर भेजना अपेक्षित है। कुछ पदों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट / कुशल परीक्षा चलाने के लिए आयोग के द्वारा निर्णय किया जाएगा। इसलिए विकृत दृश्य उम्मीदवारों को कालम 96 और 96.9 को भरना अपेक्षित है।
6. कालम नं 92.9 - यह कालम भरने के लिए श्रेणी कोड आयोग के वेबसाइट <http://ssc.nic.in> में उपलब्ध है।
7. कालम नं 92.2- आवेदन पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तारीख को होनेवाली आयु सूचित करें।
8. कालम नं 93 जो पदों के अधिमान से संबन्धित है उसे खाली छोड़ दी जाय।
9. कालम नं 20 शैक्षिक अर्हताएं परिशिष्ट -9 में उल्लेखित विषयों एवं शैक्षिक योग्यताओं की सूची सर्वांगपूर्ण नहीं है। परिशिष्ट -9 में दी गयी सूची में उल्लेखित विषयों एवं शैक्षिक योग्यताओं के अलावा और कोई प्राप्त हों या किसी दूसरे विषय को लेकर पढ़े हों तो वे योग्यताओं के लिए अन्य का प्रयोग करें तथा / या विषय कोड प्रयोग करें।
90. पद के लिए अपेक्षित अनिवार्य योग्यताओं को ध्यान से पढ़ें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि उन्हें वही प्राप्त हुई। अनिवार्य योग्यताओं के समर्थन में कागजातों को आवेदन पत्र सहित संलग्न कर भेजें। नहीं तो, आवेदन पत्र समुचित रूप से अस्वीकार किया जाएगा।
91. कालम नं 99 पत्राचार करने के लिए आपके पूरे पते को आपके नाम सहित अंग्रेजी में मोटे अक्षरों में या हिन्दी में नील या काले बाल पेन में लिखें। आप बाक्सों में 6 डिजिट पिन लिखने को न भूलें।
92. कालम 20 आवेदन पत्र में दिये गये स्थान पर हाल ही का पासपोर्ट साइज फोटो 4 से.मी x 5 से.मी चिपकार्यें। फोटो पर स्ट्याप्लर न लगाएं तथा फोटो का सत्यापित नहीं करना चाहिए। कृपया यह नोट करें कि फोटो के बिना प्राप्त आपके आवेदन पत्र समुचित रूप से अस्वीकार किया जाएगा।
93. कालम नं 21 एवं 22 कृपया द्रुतगामी से हस्ताक्षर करें। कृपया हस्ताक्षर के बिना प्राप्त आवेदन पत्रों को अस्वीकार किया जाएगा। हस्ताक्षर अंग्रेजी में मोटे अक्षरों में करें तो स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा आपके आवेदन पत्र समुचित रूप से अस्वीकार किया जाएगा। हस्ताक्षर में भिन्नता पायी जाय तो आवेदन पत्र को अस्वीकार करना पडेगा।



## अनिवार्य शैक्षिक योग्यताओं का कोड

अनिवार्य शैक्षिक योग्यताएं	कोड
मेट्रिकुलेशन	01
इंटरमीडियट	02
प्रमाण पत्र	03
डिप्लोमा	04
बी ए	05
बी ए हानर्स	06
बी काम	07
बी काम हानर्स	08
बी एससी	09
बी एस सी हानर्स	10
बी.एड	11
एल एल बी	12
बी ई	13
बी टेक	14
ए एम आइ इ (भाग अ एवं भाग आ )	15
बी.एस सी इंजीनियरिंग	16
बी सी ए	17
बी बी ए	18
सुरक्षा से जारी किये जानेवाले स्नातक (भारतीय थल सेना, वायु सेना, नौ सेना)	19
बी. लाइब्ररी विज्ञान	20
बी. फार्म	21
आइ सी डबल्यू ए	22
सी ए	23
पी. जी डिप्लोमा	24
एम ए	25
एप.काम	26
एम एस्सी	27
एम.एड	28
एल एल एम	29
एम इ	30
एम.टेक	31
एम.एस्सी इंजीनीयरिंग	32
एम सी ए	33
एम बी ए	34
अन्य	35

## शैक्षिक योग्यताओं के लिए विषय कोड

शैक्षिक योग्यताओं के लिए विषय	कोड
इतिहास	01
राजनैतिक शास्त्र	02
अर्थ शास्त्र	03
अंग्रेजी साहित्य	04
हिन्दी साहित्य	05
भूगोल	06
वाणिज्य	07
कानून	08
भौतिक	09
रसायन	10
गणित	11
सांख्यिकी	12
वनस्पति विज्ञान	13
प्राणि विज्ञान	14
कृषि विज्ञान	15
सिविल इंजीनीयरिंग	16
इलक्ट्रिकल इंजीनीयरिंग	17
मेकानिकल इंजीनीयरिंग	18
इलक्ट्रानिकस इंजीनीयरिंग	19
इलक्ट्रानिका एवं पवर इंजीनीयरिंग	20
इलक्ट्रानिक्स एवं कम्यूनिक्शन इंजीनीयरिंग	21
इलक्ट्रानिक्स इन्सट्रूमेंटेशन इंजीनीयरिंग	22
कृषि इंजीनीयरिंग	23
कम्प्यूटर साइन्स	24
कम्प्यूटर अप्लिकेशन	25
सूचना प्रौद्योगिकी	26
लाइब्ररी साइन्स	27
अक्काउन्टन्सी	28
वर्क अक्काउन्टन्सी	29
व्यापार प्रशासन	30
मास कम्प्यूनिक्शन	31
पत्रकारिता	32
मास कम्प्यूनिक्शन एवं पत्रकारिता	33
फार्मसी	34
फोटोग्राफी	35

प्रिंटिंगा तकनीकी	36
नर्सिंग	37
असामी	38
बंगाली	39
मलयालम	40
तेलुगु	41
कन्नड	42
तमिल	43
मराठी	44
गुजराती	45
उर्दू	46
संस्कृत	47
अन्य	48
एयरोनाटिकल इंजीनीयरिंग	49
रसायन इंजीनीयरिंग	50
माइक्रो बयालजी	51
फारन्सिक साइन्स	52
स्पेस इंजीनीयरिंग	53
राकेटरी	54
दूरसंचार इंजीनीयरिंग	55
सामाजिक कार्य	56
सामाजिक शास्त्र	57
क्रिमिनालजी	58
बयो फिसिक्स	59
बयो केमिस्ट्री	60
बयो टेकनालजी	61
कमयूनिकेशन	62
इलक्ट्रानिक्स	63
रेडियो इंजीनीयरिंग	64
रेडियो कमयूनिकेशन	65
मेटालार्जी	66
टेक्सटाइल टेकनालजी	67
रबड टेकनालजी	68
प्लास्टिक इंजीनीयरिंग	69

पालीमर एवं रबड टेक्नालजी	<b>70</b>
शिक्षा	<b>71</b>
आग्रोनामी	<b>72</b>
प्लान्ट ब्रीडिंग	<b>73</b>
जेनेटिक्स	<b>74</b>
आटामोबाइल इंजीनियरिंग	<b>75</b>
माराइन इंजीनीयरिंग	<b>76</b>
नावल आर्किटेक्चर	<b>77</b>
आपरेशन्स रिसर्च	<b>78</b>
इन्सट्रुमेंटेशन इंजीनीयरिंग	<b>79</b>

## परिशिष्ट - १

कार्यरत सुरक्षा कार्मिकों के लिए प्रमाण पत्र का फार्म  
(कृपया इस विज्ञापन के नोटीस के नोट ३ के तहत उप पैरा ३ देखें)

मैं प्रमाणित करता हूं कि दिनांक----- को अपने पास उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार  
नं----- ( श्रेणी )----- (नाम) ----- के संबन्ध में सशस्त्रबल में नियुक्ति की निर्दिष्ट  
अवधि -----दिनांक को समाप्त होनेवाली है

स्थान:

दिनांक

कमाण्डिंग आफीसर का हस्ताक्षर  
कार्यालय मोहर

## परिशिष्ट - २

(नोटीस के पैरा ३ के अधीन नोट ३ में दियेनुसार उम्मीदवारों से की जानेवाली घो'णा / वचन )

मैं जानता हूं कि यदि अपना आवेदन यदि भर्ती परीक्षा के आधार पर चयन किया गया तो नियुक्ति अधिकारी  
की **संतुष्टी** के लिए कागजातों का प्रूफ यों प्रस्तुत करना होगा कि मुझे सशस्त्र बल सेवा से  
विधिवत कार्यमुक्त किया / सेवा निवृत्त होने दिया / सेवा मुक्त किया जाएगा तथा पूर्व सैनिकों के  
( केंद्रीय सिविल सवोएं तथा पदों की पुनः नौकरी ) नियम १९७९ के अनुरूप जो समय -समय पर संशोधित  
किया जाता है,

मैं यह भी जानता हूं कि यदि इस भर्ती की परीक्षा में पूर्व सैनिकों लिए आरक्षित रिक्ति में नियुक्ति के लिए  
योग्य नहीं हूं। यदि इससे पहले कभी मैंने सिविल पक्ष में नौकरी प्राप्ति के लिए ( जिसमें सार्वजनिक संस्थान,  
स्वायत्त निकाय, सांविधिक निकाय, **राष्ट्रीय** बैंकों आदि सम्मिलित हैं ) पूर्व सैनिक को स्वीकार्य आरक्षण  
रियायतों का उपभोग किया है तो चालू परीक्षा से संबंधित भर्ती के लिए पूर्व सैनिक के लिए आरक्षित रिक्ति में  
नियुक्ति के लिए योग्य नहीं हूं।

स्थान:

दिनांक

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

### परिशिष्ट - 3

#### अनु.जा / अनु.जनजाति के प्रमाण पत्र का प्रपत्र

किसी उम्मीदवार को जो अनु.जा/अनु.ज.जा का है, अपने दावा के समर्थन में साक्षांकित /सत्यापित प्रमाण पत्र की प्रति नीचे लिखेनुसार उप डिविजनल आफीसर या निम्नलिखित जिले आफीसर कहां मां-बाप ( जीवित मां-बाप) सामान्यतः निवास करते हैं तथा जो राज्य सरकार द्वारा अभिहित होकर ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम हैं। यदि मां-बाप दोनों जीवित नहीं तो, जिस जिले में उम्मीदवार अपने सामान्य जीवन के लिए या अपनी शिक्षा के लिए निवास करते हैं उस जिले का अधिकारी प्रमाण पत्र में हस्तक्षार कर सकते हैं। जहां तक इस प्रमाण पत्र के फोटो कापी जरूरी होती हैं वहां इन फोटो प्रतियों की केवल सत्यापित प्रतियों को मान लिया जाएगा। किसी दूसरी साक्षांकित प्रति या सही प्रतिलिपि को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

प्रमाण पत्र का यह फार्म भारत सरकार के अधीन पदों की नियुक्ति के लिए आवेदन करनेवाले केवल अनु.जा/अनु.ज.जा को ही प्रस्तुत करना होता है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमति / कुमारी का /की पुत्र/पुत्री \* जो .... राज्य / संघ शासित प्रदेश में ..... जिले/डिविजन \* के ----- गांव / टऊन में रहते हैं और वे उस जाति/जन जाति के हैं जिसको अनु.जाति /जन जाति \* के रूप में निम्नलिखित आदेशों के तहत मान्यता प्राप्त होती है।

संविधान / अनु.जाति/ आदेश १९५० ,संविधान /अनु.ज.जा/ आदेश १९५० ,संविधान /अनु.जा/ संघ शासित प्रदेश आदेश १९५१\* तथा संविधान /अनु.ज.जा/ संघ शासित आदेश १९५१ \* , जो अनु.जा एवं अनु.ज.जा सूची /संशोधन/ आदेश १९५६ द्वारा यथासंशोधित होते हैं, बंबई पंजीकरण अधिनियम १९६० एवं पंजाब पुर्नसंगठन अधिनियम १९६६, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम १९७०, उत्तर-पूर्व क्षेत्र /पुर्नसंगठन/ अधिनियम १९७१ एवं अनु.जा एवं अनु.ज.जा आदेश /संशोधन/ अधिनियम १९७६.\* संविधान /जम्मू कश्मीर/ अनु.ज.जा १९५६ अनुसूचित जाति आदेश १९५६ संविधान /अंडमान व निकोबार द्वीप/ अनु.ज.जा आदेश १९५९ जो अनुसूचित जाति एवं अनु.ज.जाति आदेश /संशोधन अधिनियम/ १९७८ संविधान / डादरा व नागर हावेली / अनुसूचित जाति आदेश १९६२ संविधान / डादरा व नागर हावेली / अनु.ज.जा १९६२ संविधान /पांडिच्चेरी / अनु.जा आदेश १९६४ संविधान /उत्तर प्रदेश/ अनुसूचित जाति आदेश १९६७

संविधान /गोवा , दामन व दीयु / अनुसूचित जाति आदेश १९६८ @  
संविधान /गोवा , दामन व दीयु / अनुसूचित जन जाति आदेश १९६८ @  
संविधान /नाघलांड / अनुसूचित जाति आदेश १९७०@  
संविधान /सिक्किम/ अनुसूचित जाति आदेश १९७८@  
संविधान /सिक्किम/ अनुसूचित जन जाति आदेश १९७८@  
संविधान /जम्मु कश्मीर/ अनु.ज.जा १९८९@  
संविधान (अनु.जा)आदेश (संशोधन) अधिनियम १९९० @  
संविधान अनु.जा आदेश /संशोधन/ अध्यादेश १९९१@  
संविधान अनु.ज.जा /दूसरा संशोधन/ अधिनियम १९९१@  
संविधान अनु.ज.जा /संशोधन/ अध्यादेश १९९६

२. किसी एक राज्य / संघशासित प्रदेश से प्रवासित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति उम्मीदवारों को लागू है

यह प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति के प्रमाण पत्र के आधार पर

श्री / श्रीमति \* पिता / माता के पुत्र/पुत्री श्री / श्रीमति /कुमारी

.... जो राज्य/डिविजन \* के गांव/ टऊन \* में रहते हैं तथा वे जाति/जनजाति के हैं जो से जारी आदेश सं दिनांक के अधीन अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति के रूप में राज्य/संघ शासित प्रदेश में मान्यता प्राप्त है

३. श्री / श्रीमति / कुमारी \* और / या उसका परिवार ..... राज्य/संघ शासित प्रदेश के .. जिले/डिविजन \* के गांव/टऊन में निवास करते हैं।

हस्ताक्षर

\* पदनाम

राज्य/संघ शासित प्रदेश

कार्यालय का मोहर सहित

स्थान:

दिनांक:

\* कृपया उन शब्दों को काट दिया जाय जो लागू नहीं

@ कृपया राष्ट्रपति के विनिर्दिष्ट आदेश का उल्लेख करें

उस पैरा को काट दें जो लागू नहीं

नोट: सामान्यतः निवास का पद जो यहां पर उपयोग किया गया है उसका वही अर्थ है जो लोक प्रतिवेदन अधिनियम १९५० के सेक्शन २० में दिया गया है।

जाति/जन जाति प्रमाण पत्रों को जारी करने का **अधिकार प्राप्त** अधिकारियों की सूची:-

१. जिला मेजिस्ट्रेट/अपर जिला मेजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/ उप कलेक्टर/पहली श्रेणी मेजिस्ट्रेट/ सब-डिविजनल मेजिस्ट्रेट/सहायक आयुक्त / ताल्लुक मेजिस्ट्रेट/ मेजिस्ट्रेट
२. मुख्य प्रेसिडन्सी मेजिस्ट्रेट/ अपर मंख्य प्रेसिडन्सी मेजिस्ट्रेट/प्रसिडन्सी मेजिस्ट्रेट
३. तहसिलदार पद के उच्चतम श्रेणी में काम करनेवाले वित्त अधिकारी
४. जिस क्षेत्र में उम्मीदवार और / या उसका परिवार सामान्यतः निवास करते हैं वहां के सब- डिविजनल आफीसर

नोट: अनुसूचित जन जाति उम्मीदवार जो तमिलनाडु राज्य के होते हैं उन्हें रेविन्यु डिविजनल अधिकारियों के द्वारा ही जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।



१. डाक्टर .....पंजीकरण सं ..... श्री/ श्रीमति /कुमारी . .....  
विवरण नीचे दिये गये हैं उनके बारे में यह प्रमाणित किया जाता है कि वे निम्नलिखित श्रेणी के स्थाई शारिरिक विकलांग व्यक्ति होता / होती है।

जिनके

१. दो.पै - दोनों पैर विकृत लेकिन बांह नहीं

२. दो.बां- दोनों बांहें विकृत

अ. पहुंचने में असमर्थ

आ. पकडने में कमजोरी

३. दो.पै.बां - दोनों पैर और दोनों बांहें विकृत

४. एक.पै- एक पैर विकृत दायें व बायें

अ. पहुंचने में असमर्थ

आ. पकडने में कमजोरी

इ. अटाक्सिक

५. एक. बां- एक बांह विकृत

अ. पहुंचने में असमर्थ

आ. पकडने में कमजोरी

इ. अटाक्सिक

६. क.पी - कडा पीठ एवं कमर ( बैठने एवं झुकने में असमर्थ )

७. बा. कम. -बाहुबल में कमजोरी एवं सीमित शरीरिक शक्ति

८. अंध - अंधा

९. पा.अंध - आंशिक अंधा

१०. ब- बहरा

(जो मर्दे लागू नहीं, काट दीजिए)

२. इनके मामले में अपंगता का प्रतिशत ..... होता है।

३. श्री /श्रीमति/कुमारी .....को अपने कार्यभार वहन करने में निम्नलिखित शरीरिक अपेक्षिताएं पूरी करनी होती है।

i) उं - उंगलियों की मदद से किये जानेवाले कार्य

ii) खींच. दबा - खींच एवं दबाव से किये जानेवाले कार्य

iii) उठा. - उठाकर रखने से किये जानेवाले कार्य

iv) घु. बै - घुटने एवं घुटने मोडकर बैठने की स्थिति में किये जानेवाले कार्य

v) झु. - झुककर किये जानेवाले कार्य

vi) बै. - बैठकर किये जानेवाले कार्य

vii) ख. हो - खडे होकर किये जानेवाले कार्य

viii) चल - चलते हुए किये जानेवाले कार्य

ix) देख - देखते हुए किये जानेवाले कार्य

X) सुन/बोल - सुनते एवं बालते हुए किये जानेवाले कार्य

XI) पढ लि - पढते हुए एवं लिखते हुए किये जानेवाले कार्य

( जो लागू नहीं काट दीजिए )

४. श्री / श्रीमति/ कुमारी ..... को गठन कमजोरी की बीमारी या शरीरिक निर्बलता ( अन्यथा बीमारी संचारी ) नहीं है , जो भारत सरकार के अधीन अधिकारी के रूप में कार्य भार कुशलता पूर्वक वहन करने में बाधा डालती है।

- i) उम्मीदवार का नाम
- ii) पिता का नाम
- iii) पचहान चिन्ह
- iv) सेक्स
- v) आयु

सर्जन / चिकित्सा अधिकारी का हस्ताक्षर  
पदनाम:

उम्मीदवार का हस्ताक्षर

कार्यालय मोहर:

पता:

नोट: यह विकलांग प्रमाण पत्र किसी सरकारी आस्पताल के द्वारा जारी किया जाना अपेक्षित है।